न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 92/2022

वादीः—

विशनसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र रणछोडराम जाति कलबी चौधरी निवासी लालिया
2. मांगाराम पुत्र लच्छाराम जाति कलबी चौधरी निवासी लालिया
3. अर्जुनसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
4. गजेसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी मौखण्डी
5. श्रीमती गुड्डी कंवर पत्नी गजेसिंह जाति राजपूत निवासी मौखण्डी
6. छोटूसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
7. चेलाराम पुत्र लच्छाराम जाति कलबी चौधरी निवासी लालिया
8. विक्रमसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
9. श्रीमती धापूकंवर पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी
10. श्रीमती पवनकंवर पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी
11. गोविन्दसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
12. बाघसिंह पुत्र जालमकरणसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी तहसील समदडी जिला बालोतरा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

उपस्थितः—

1. श्री नरपतसिंह अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित

::निर्णय::

दिनांकः—27.03.2026

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 188 के तहत पेश किया है। [वाद पत्र का संक्षिप्त सार इस] प्रकार है कि वादी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि ग्राम समदडी में आई हुई है, वादग्रस्त भूमि के [बदेशी उत्तर में] प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की खसरा संख्या 1444/243 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 1445/243 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 1448/243 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 1449/243 रकबा 0.2266 खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

ख्या1454 / 243 रकबा 0.2266 खसरा संख्या1447 / 243 रकबा 0.1538 खसरा संख्या 1451 / 243 रकबा 0.2266 खसरा संख्या 1450 / 243 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 1446 / 243 रकबा 0.1538 व खसरा संख्या 1430 / 243 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य करीब 5 वर्ष पूर्व पत्थर के मुटाम लागर कर तारबंदी कर सीमा निर्धारण किया जा चुका है,हाल में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमाओं के लेकर मौके पर वाद विवाद किया जा रहा है, वादी के कब्जा काश्त एवं हक हकूक की कृषि भूमि की विधिक सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया गया,

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,। प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में पी.डब्लयू 1 वादी विशनसिंह के बयान कलमबद्ध करवाय तथा वादग्रस्त भूमियों की जमाबंदी प्रदर्श 1 से 13 प्रदर्शित करवाये।

वादी वकील की बहस सुनी गई।

वादी वकील की दलील है कि वादी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1426 / 243 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि के बदिशा उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के कब्जा काश्त की भूमियां अवस्थित है, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य करीब 5 वर्ष पूर्व पत्थर के मुटाम लागर कर तारबंदी कर सीमा निर्धारण किया जा चुका है, परन्तु हाल में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमाओं के लेकर मौके पर वाद विवाद किया जा रहा है लिहाजा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमे पाया कि वादी की खातेदारी [illegible] समदडी की खेत खसरा संख्या 1428 / 243 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी स. 1 व 12 किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे ,इस आशंय की स्थाई

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

षेघाज्ञा जारी करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया गया है। चुंकि वादी वादग्रस्त भूमि के रिकार्डड खातेदार है,रिकार्डेड खातेदारी की भूमि मे कोई सेढा पडौसी या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की दखलदान्जी नही कर सकता है,और यदि खातेदारी को ऐसा लगता है,तो खातेदार उक्त अधिनियम के तहत राहत पाने का हकदार है,ऐसी सुरत मे वादी की खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नही कर सकता है,एवं प्रतिवादी बावजुद सम्मन तामिल के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि वादी के वादपत्र को स्वीकार किये जाने की प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति है।

लिहाजा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम समदडी तहसील समदडी की खेत खसरा संख्या 1428/243 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 12 किसी प्रकार का अतिक्रमण,अतिचार न करे तथा वादी के हक हिस्से की भूमि की उत्तरी भूमि जहां पर पत्थर लगा कर तारबंदी की हुई है उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न करे ,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा वादी के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 व 12 के विरूद जारी की जाती है,तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीः–

विशनसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र रणछोडराम जाति कलबी चौधरी निवासी लालिया
2. मांगाराम पुत्र लच्छाराम जाति कलबी चौधरी निवासी लालिया
3. अर्जुनसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
4. गजेसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी मौखण्डी
5. श्रीमती गुड्डी कंवर पत्नी गजेसिंह जाति राजपूत निवासी मौखण्डी
6. छोटूसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
7. चेलाराम पुत्र लच्छाराम जाति कलबी चौधरी निवासी लालिया
8. विक्रमसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
9. श्रीमती धापूकंवर पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी
10. श्रीमती पवनकंवर पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी
11. गोविन्दसिंह पुत्र चेनकरण जाति राजपूत निवासी तिरगटी
12. बाघसिंह पुत्र जालमकरणसिंह जाति राजपूत निवासी तिरगटी तहसील समदडी जिला बालोतरा
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

मुकदमा नंबर :–92 / 2022 **निर्णय दिनांक :–27.03.26**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी मिनजानिव मुद्दई पेश होकर डिक्री दी जाती है वादी का वाद पत्र प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम समदडी तहसील समदडी की खेत खसरा संख्या 1428 / 243 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 12 किसी प्रकार का अतिक्रमण,अतिचार न करे तथा वादी के हक हिस्से की भूमि की उत्तरी भूमि जहां पर पत्थर लगा कर तारबंदी की हुई है उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न करे ,इस आशंय की स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरुद्ध जारी की जाती है,खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.03.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना